संशोधन आदेश

संख्या-7/2016/77/52-1-2016-09(एम०एस०डी०पी०)/13

प्रेषक,

मो०शफ़कत कमाल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी,2016

विषयः मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के ग्राम निवारी, मुरादनगर, असालतपुर लोनी और प्रताप बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना एवं शहीदनगर एवं सिहानी, वसुन्धरा, विजयनगर, जावली, फरूखनगर तथा भोपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु अवशेष केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2030/52-1-2015-09(एम०एस०डी०पी०)/13, दिनांक 04 अगस्त, 2015 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित परियोजनाओं के लिए कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि रू० 90.00 लाख (रू० नब्बे लाख मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति के आदेश के पृष्ठ-4 के प्रस्तर-15 में यह अंकित किया गया था कि :-

''**यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।**''

3- सम्प्रति उक्त पृष्ठ-4 के प्रस्तर-15 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

'' **यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।**''

4- तदनुसार शासन के पत्र संख्या-2030/52-1-2015-09(एम०एस०डी०पी०)/13, दिनांक 04 अगस्त, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

5- शासनादेश दिनांक 04 अगस्त, 2015 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

(मो०शफ़कत कमाल)

http://sranadesh.up.nic.in

संख्या-77(1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (परीक्षा विभाग), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वाँ तल पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।

5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,लि० लखनऊ** ।

7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in